आरक्षण हटाओ प्रेम बढ़ाओ देश बचाओ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं० जवाहरलाल नेहरू
"[illegible] आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।"
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
([illegible])
मो. 9413390600

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरूविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

[illegible]
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

जयपुर
दुल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष - अखिल महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक

प्रेस कान्फ्रेन्स दिनांक 15.12.2012

दिनांक :

स्थान – कानजी होटल, टोंक रोड, जयपुर

कांग्रेस की विखण्डनकारी नीतियों का प्रमाणपत्र है

117वां संविधान संशोधन

1. राज्यसभा में पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित 117वां संविधान संशोधन विधेयक इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है ।
2. उक्त संशोधन पर राज्यसभा में दिनांक 13.12.2012 को दिये गये विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली के भाषण की प्रतिलिपि भी इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है ।
3. उक्त संशोधन मौजूदा अनुच्छेद 16(4)(ए) के स्थान पर नया अनुच्छेद 16(4)(ए) प्रतिस्थापित करने के लिए लाया जा रहा है ।
4. मौजूदा अनुच्छेद 16(4)(ए) भी संविधान संशोधन के जरिये ही जोड़ा गया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एम.नागराज के प्रकरण में संवैधानिक मूल ढांचे एवं समानता के मूल अधिकार के अधीन निम्न तीन शर्तों के रहते हुए ही सही ठहराया था :–

   अ. आरक्षित वर्ग के लोक सेवकों का पिछड़ापन ।

   ब. सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व ।

   स. अनुच्छेद 335 के अधीन सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा ।

   सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि उपरोक्त तीन शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, संविधान की मूल संरचना को तोड़ने वाला होगा इसलिए किसी भी राज्य को ऐसा प्रावधान बनाने का अधिकार नहीं होगा।
5. कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 117वां संविधान संशोधन बिल लाया गया है, उसमें समानता के मूल अधिकार की रक्षा करने वाली उपरोक्त तीनों शर्तों को हटाया जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि :–

   अ. कांग्रेस पार्टी संविधान प्रदत्त समानता के मूल अधिकार में विश्वास नहीं रखती है।

   ब. संविधान की मूलभूत संरचना को जातिवादी राजनेताओं के दवाब में ध्वस्त करना चाहती है ।

   स. कांग्रेस पार्टी को भली भांति ज्ञान है कि यह संविधान संशोधन न्यायपालिका में टिकेगा नहीं, फिर भी जानबूझकर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को न्यायालयों में धकेला जा रहा है, लिटिगेशन बढ़ाया जा रहा है ।

   द. पूरे देश को जातिगत आधार पर खण्ड–खण्ड कर देना चाहती है क्योंकि इस संविधान संशोधन से :–

      (i) जाति के आधार पर व्यक्तियों को हमेशा के लिए 'पिछड़ा' माना जावेगा । उदाहरण के लिए राजस्थान के डीजीपी श्री हरीश मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक सम्पतराम, लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार आदि पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़े ही रहेंगे । इसके विपरीत गांव ढाणी में फूंस की झोपड़ी में रहने वाले, गड्ढे खोद कर या भीख मांगकर पेट भरने वाले सामान्य/ओ.बी.सी. जाति के लोग अगड़े ही माने जावेंगे ।

(लगातार—— 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9413390600

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (पाक्षिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक (2) दिनांक :

(ii) पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' के स्थान पर 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' देखा जावेगा जो पूरे देश के लिए खतरनाक है। अब सभी जातियाँ अपनी जातिगत सीमाओं में सिमटकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करेंगी, जातिगत जनसंख्या बढाने के प्रयास होंगे, जातिगत वैमनस्य बढ़ेगा, देश में अराजकता बढ़ेगी ।

(iii) अनुच्छेद 335 को निष्प्रभावी करने के कारण योग्यता का आधार केवल जाति विशेष ही रह जायेगा जिससे जातिगत गुटबाजी, वैमनस्य, बिखराव एवं संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच जावेगा ।

(iv) आरक्षित वर्ग के सम्पन्न हो चुके व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के सभी रास्ते हमेशा के लिए बन्द हो जायेंगे ।

(iv) सम्पन्न आरक्षितों को जबरदस्ती 'पिछड़ा' घोषित करने से वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ कभी भी नहीं पहुंच पायेगा तथा 4-5 प्रतिशत की संख्या वाले सम्पन्न आरक्षित वर्ग के लोग ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी बीच में ही सारे लाभ हड़पते रहेंगे ।

कांग्रेस पार्टी की उपरोक्त कुचेष्टा करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाताओं के साथ विश्वासघात है, देश को तोड़ने वाली है, प्रजातंत्र को कमजोर करने वाली है । इसीलिए समता आन्दोलन की तरफ से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने की याचिका लगायी गयी है । राजस्थान राज्य की सभी 250 तहसीलों से ऐसी 100-100 याचिकाएँ (अर्थात कुल 25000 याचिकाएँ) पंजीकृत डाक से भिजवाने का लक्ष्य रखा गया है । याचिका की प्रति भी इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।

भारतीय जनता पार्टी पर नजर

राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के रूख पर हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की नजर है । हम यह देख रहे है कि भाजपा राष्ट्रवादी/समतावादी स्टैण्ड लेती है या कांग्रेस की तरह जातिवादी/विखण्डनवादी स्टैण्ड लेती है । इस ज्ञापन के साथ राज्य सभा में दिनांक 13.12.2012 को भाजपा सांसद श्री अरूण जेटली, नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिये भाषण की प्रति भी संलग्न है । उन्होंने 117वां संविधान संशोधन द्वारा हटायी जा रही तीनों अनिवार्य शर्तों में से दो को हटाया जाना उचित माना है तथा अनुच्छेद 335 को निष्प्रभावी करने को अनुचित मानते हुए एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । समता आन्दोलन इसकी भर्त्सना करता है और भाजपा से यह मांग करता है कि संविधान प्रदत उपरोक्त तीनों शर्तों में कोई भी बदलाव नहीं होने देवे अन्यथा देश के करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाताओं को जवाब देना भारी पड़ेगा ।

(लगातार—— 3)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर
(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)
website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज पं0 जवाहरलाल नेहरू
"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।"
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
संभाग संभागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9413390600

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488
जे.एस. राजावत
संपादक : समता ज्योति (मासिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक दिनांक :

(3)

समाजवादी पार्टी को साधुवाद

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसदों द्वारा जिस प्रकार से दृढ़तापूर्वक इस विनाशकारी संविधान संशोधन का विरोध किया जा रहा है उसके लिए श्री मुलायम सिंह यादव एवं पूरी समाजवादी पार्टी साधुवाद की पात्र है । सपा सांसदों के राष्ट्रवादी तर्कों के सामने केन्द्र सरकार के नेता/ मंत्री तथा जातिवादी राजनेता निरूत्तर और बेजुबान है । पूरे देश के 3 करोड़ से अधिक राष्ट्रवादी लोक सेवक समाजवादी पार्टी के आभारी है ।

राजस्थान की राजनीति पर असर

यदि कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से यह विनाशकारी संविधान संशोधन पारित हो जाता है तो राजस्थान राज्य में जाति आधारित पार्टी बसपा एवं राष्ट्रवादी सोच की पार्टी समाजवादी पार्टी का अगले आम चुनावों में जबरदस्त उदय होगा तथा करोड़ों मतदाताओं से विश्वासघात करने वाली कांग्रेस एवं भाजपा की स्थिति राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश जैसी हो जायेगी ।

समता आन्दोलन की तैयारी

पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी न्यायिक संघर्ष में गहलोत सरकार की कारगुजारियों से आहत तथा प्रस्तावित संविधान संशोधन से आक्रोशित समता आन्दोलन का प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ग्रासरूट लेवल तक लाखों लोगों को जोड़ता जा रहा है और आगामी आम चुनावों में कपटी पार्टियों एवं नेताओं को सही जवाब देने के लिए कृत संकल्प है । जनजागरण के लिए दिनांक 17.12.2012 को प्रदेश के 7 लाख लोक सेवकों से कार्य बहिष्कार एवं पेन डाउन स्ट्राइक रखते हुए दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे के बीच राज्य के सभी संभाग, जिला व तहसील मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला जलाने का कार्यक्रम रखा गया है ।

(signature)

RAJYA SABHA

———

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

———

(Shri V. Narayanasamy, Minister of State for Personnel, Public Grievance and Pensions)

MGIPMRND—2771RS(S3)—04-09-2012

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been provided reservation in promotions since 1955. This was discontinued following the judgment in the case of Indra Sawhney *Vs.* Union of India, wherein it was held that it is beyond the mandate of Article 16(4) of the Constitution of India. Subsequently, the Constitution was amended by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995 and a new clause (4A) was inserted in article 16 to enable the Government to provide reservation in promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Subsequently, clause (4A) of article 16 was modified by the Constitution (Eighty-fifth Amendment) Act, 2001 to provide consequential seniority to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates promoted by giving reservation.

The validity of the constitutional amendments was challenged before the Supreme Court. The Supreme Court while deliberating on the issue of validity of Constitutional amendments in the case of M. Nagaraj *Vs.* UOI & Ors., observed that the concerned State will have to show in each case the existence of the compelling reasons, namely, backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency before making provision for reservation in promotion.

Relying on the judgment of the Supreme Court in M. Nagaraj case, the High Court of Rajasthan and the High Court of Allahabad have struck down the provisions for reservation in promotion in the services of the State of Rajasthan and the State of Uttar Pradesh respectively. Subsequently, the Supreme Court has upheld the decisions of these High Courts striking down provisions for reservation in respective States.

It has been observed that there is difficulty in collection of quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment. Moreover, there is uncertainty on the methodology of this exercise.

Thus, in the wake of the judgment of the Supreme Court in M. Nagaraj case, the prospects of promotion of the employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are being adversely affected.

Demands for carrying out further amendment in the Constitution were raised by various quarters. A discussion on the issue of reservation in promotion was held in Parliament on 3-5-2012. Demand for amendment of the Constitution in order to provide reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in promotion has been voiced by the Members of Parliament. An All-Party Meeting to discuss the issue was held on 21-08-2012. There was a general consensus to carry out amendment in the Constitution, so as to enable the State to continue the scheme of reservation in promotion for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as it existed since 1995.

In view of the above, the Government has reviewed the position and has decided to move the constitutional amendment to substitute clause (4A) of article 16, with a view to provide impediment-free reservation in promotion to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to bring certainty and clarity in the matter. It is also necessary to give retrospective effect to the proposed clause (4A) of article 16 with effect from the date of coming into force of that clause as originally introduced, that is, from the 17th day of June, 1995.

NEW DELHI;
The 4th September, 2012.

V. NARAYANASAMY

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE CONSTITUTION OF INDIA

*   *   *   *   *

16. (*1*) *   *   *   *   *

Equality of opportunity in matters of public employment

(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.

*   *   *   *   *

AS INTRODUCED IN THE RAJYA SABHA

Bill No. XLVIII of 2012

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Constitution (One Hundred Seventeenth Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 17th day of June, 1995.

Amendment of article 16.

2. In the Constitution, in Part III, in article 16, for clause (4A), the following clause shall be substituted, namely:—

"(4A) Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and article 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or in article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotions, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the services of the State.".

The question was proposed.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Deputy Chairman, Sir, this Constitution Amendment has been brought by the Government as a result of the judgement of the Supreme Court in Nagraj case which has been followed in two other subsequent judgements relating to Uttar Pradesh and Rajasthan, as the hon. Minister pointed out. Ideally, in the Nagraj case, the Supreme Court had suggested that quantifiable data of under-representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be obtained and wherever quantifiable data is obtained and there is under-representation, to that extent adequacy of representation should be considered. The concept of reservation in promotion was upheld by the Supreme Court. Therefore, there was a very easy course available to certain State Governments and this is an enabling provision which applies to the States that you could well do a survey and find out wherever there is under-representation, you could allow adequate representation in accordance with the law as was declared by the Supreme Court. In fact, States like Bihar resorted to that course and in a very amicable manner was able to fill up the entire quota as necessary. However, the

Government has chosen not to embark on that course, but bring about a Constitution Amendment.

Sir, I merely wish to point out two-three things. My party is fully committed to the concept of social justice. We believe that because of inbuilt and historical injustices, there were inequalities which have built into the system. Reservation which was originally conceived in the Constitution is not intended to create that inequality but is intended to make unequals as equals. It is more of a social or poverty alleviation scheme. Therefore, in the sections it has been made applicable, it has yielded dividends. But there are miles which we still have to travel. However, Sir, the principle which has to be kept in mind while using reservation as an affirmative action intended to remove discrimination is that it should not be implemented in a manner that it starts creating a reverse discrimination. The Supreme Court judgement, therefore, while interpreting both these principles that it is a poverty elimination programme of the Government which is implemented through this affirmative action should not be so excessive that it results in reverse discrimination.

(Contd. by 2R-ysr)

-SK/YSR-NB/3.35/2R

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD.): In Nagaraj's case, the Supreme Court therefore did the balancing act. I will just read the most operative sentence in Nagaraj's case which really does this balancing act. It says, "We reiterate that the ceiling limit of 50 per cent, the concept of creamy layer and the compelling reasons, namely, backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency are all constitutional requirements without which the structure of equality of opportunity would collapse." Therefore, as a Parliament, we must remember that we are exercising our constituent power. Our constituent power is not absolute; our constituent power under Article 368 is subject to one basic limitation and that basic limitation is that we cannot alter the basic structure of the Constitution. We can amend it. We can alter it. But we can't change the basic structure or we can't abrogate the basic structure. Therefore, the words which the Supreme Court has used are that some of these concepts like the upper limit of 50 per cent, the concept of creamy layer, the compelling reasons of backwardness, inadequacy of representation and efficiency are the constitutional requirements without which the structure of equality of opportunity would collapse. Some of these obviously created resentment among certain groups and the Government,

therefore, has chosen to introduce this constitutional amendment while amending Article 16, sub-clause (4A). There have been two earlier amendments. I should clarify that the concept of reservation in promotion in principle which was brought by earlier amendments has already been upheld by the Supreme Court. So, contrary to this popular perception that this is being given for the first time is not correct. This is already in existence. This has never been struck down by the court. The principle of consequential seniority has also been upheld. But because of this, certain complications have arisen and the present amendment does three things.

One, it says that whichever are the notified Scheduled Castes and Scheduled Tribes under Article 341 and Article 342 shall be deemed to be backward; they shall be entitled to benefit of Article 16 (4). So, the benefit must go to whoever is notified as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in Article 341 and Article 342. The reason for this -- and there is a good reason for this – is that there is a fundamental difference between those who are the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and Other Backward Classes. The stigma of caste, stigma of social injustice is a stigma which is very difficult to get out of. Once you are born into a caste, you live your entire life through that caste. Social and educational

backwardness are areas which you can travel out of. And, therefore, the first part of this amendment places those notified under Article 341 and Article 342 as Scheduled Castes and Scheduled Tribes -- this benefit is not available to anybody else — and they are entitled to the benefits which are available under the Constitution, that is, Article 16 (4) for backwards. आर्टिकल16 (4) के तहत affirmative action का जो भी benefit है ,संविधान की धारा 341 और 342 के अंतर्गत जो सूची बनती है, जिनके नाम उसमें आएंगे, उनको वह लाभ मिलेगा ,यह पहला अंश है। दूसरा अंश थोड़ा विवादित है। उस अंश को लेकर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। इसलिए मैंने सरकार से और अन्य साथियों से भी बात की है। शायद इसकी वैधानिकता पर प्रश्नचिह्न लग जाए। जो संशोधन आपने दिया है , उसकी भाषा है - "Nothing in this article, that is, Article 16 (4A) or Article 335, shall prevent the State from making laws, providing for reservation in promotion."

(Contd. by VKK/2S)

MP-VKK/2S/3.40

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : अब धारा 335 के तहत भी इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार के ऊपर अंकुश नहीं होगा। So, nothing in article 335 will prevent the State from making laws. Sir, I would urge the Government to seriously reconsider this because article 335 is a provision in the Constitution which deals with efficiency of service.

The language of article 335 is, मैं आर्टिकल 335 को पढ़ देता हूं – "The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State." That is to say, कि जो Scheduled Castes और Schedules Tribes हैं, उनके लिए जितने भी प्रावधान किए जाएंगे, वे प्रावधान efficiency of service maintain हों, उसके साथ consistent होंगे। लेकिन एक कठिनाई आती है और वह कठिनाई यह है कि जिनके ऊपर ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ, शायद वे उस प्रतिस्पर्धा में, उस मुकाबले में उस स्तर तक न आ पाएं, तो उसके लिए एक proviso दिया गया और आर्टिकल 335 का वह proviso है – "Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters or promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State." Article 335 is a very important provision. It says that for everybody efficiency standards will apply. They will apply also to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes,

relaxed standards will apply. उन standards को कमज़ोर कर दिया जाएगा, वे apply करेंगे। This is already in article 335. Now, you say, "Nothing in article 335 will apply" which means neither standards will apply nor relaxed standards will apply. So, if somebody consistently has a record of doubtful integrity or if he consistently has a record of being inefficient or poor, he still would be entitled to promotion. Now, it is quite possible that for a general category officer, you may say that he must have eight 'very good' or 'excellent' reports; for a reserved category candidate, he must have four 'very good' or 'excellent' reports. So, you can give relaxed standards or even 'good' can be considered good enough. But, to say, "No standards will apply" may be a little difficult. I would, therefore, urge the hon. Minister to reconsider it and consider deleting this part of article 335 being not applicable because the moment you overrule article 335, it will have two adverse consequences. Firstly, the efficiency of service will be adversely affected. Secondly, the quality itself may suffer and more importantly, it will run the risk of being struck down as unconstitutional because in Nagraj's case, the Supreme Court has said that efficiency of service is one of the criteria of Constitutional requirements without which the structure of equality of opportunity

under article 16 will collapse. So, if efficiency of service is completely done away with, then the structure will itself collapse. Sir, this is the second limb. Once the Government agrees – and I do hope that the hon. Minister after consulting all sections and taking their opinion reasonably agrees – to this, then there is only the third limb of the amendment. In fact, the third limb of the amendment corrects a major problem into which we were earlier falling. The problem was that once you have reservation in promotion, you introduce what is called a system of leapfrogging. Leapfrogging means somebody is entitled to a faster promotion than others because there is a reservation in his category. So, somebody who could be junior to one person can get accelerated promotion and overtake his senior. Now, once this system sets into action, under the original situation and that is the example our friend, Prof. Ram Gopal Yadav, has been repeatedly giving of the UP Irrigation Department, उनका कहना था कि वहां पांच चीफ इंजीनियर थे और एक इंजीनियर-इन-चीफ था। इस प्रावधान की वजह से छह के छह एक वर्ग के आ गए और उनकी शिकायत इसी वजह से रहती थी।

(2T/SC-KR पर जारी)

-mp/sc-kr/3.45/2t

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : अब इस कानून में जो अमेंडमेंट आया है, वह इस anomaly को ठीक करता है, वह यह कहता है कि "That laws will be made in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State." Therefore, this anomaly is being corrected. Now, a cap is being put, the result of that cap is whatever the permissible quota is in that State is the quota in the promotional post that will be allowed. Therefore, if the hon. Minister agrees to reconsider the second limb which is article 335, then, there are two limbs left; and the two limbs are पहला यह है कि जो आर्टिकल 341 और 342 की सूची में हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस देश में एक आम राय है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग के हैं, उनको आज भी इस लाभ की जरूरत है, इस आरक्षण की आवश्यकता है। दूसरा जो है, वह एक प्रकार से मौजूदा anomaly को ठीक करता है कि वह आरक्षण उस सीमा तक हो सकता है, जितने आरक्षण की उस राज्य के अंदर अनुमति हो। अधिकतर राज्यों में 20 परसेंट या 22 परसेंट मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है तो यह उसकी कैप फिक्स कर देता है। मंत्री जी बहस के अंत में बतलाएं कि अगर वे इस दूसरे संशोधन पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि यह पूरा का पूरा संविधान संशोधन अपने आपमें

न्यायसंगत हो जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (NOMINATED): Mr. Deputy Chairman, thank you very much for allowing me to participate in the debate on the crucial important topic that the nation is confronting. I rise to support the Constitution (One Hundred Seventeenth Amendment) Bill, 2012 moved by the hon. Minister. Sir, let us widen the scope of this debate beyond the constitutional legalities. I would first like to submit that caste is the basic structure of the Indian society. We understand that the Indian Constitution had abolished the untouchability by article 17. But the Indian Constitution could not abolish the caste system because it is the basic structure of the Indian society beginning with the Hindu society transferring it to the Christianity and Muslim that it was beyond the scope and comprehension of the Indian Constitution to abolish the caste system. What we are witnessing today is with respect to the demand on this amendment moved by the hon. Minister; basically, the inherent contradictions of the Indian societies exhibited through the caste system. They are coming to the fore. I apprehend, knowing a little better from my personal point

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी–28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई–दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर–सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in | e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन, संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अमिताभ गुप्ता, संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक) | माननीय श्री जे.एस. राठौड़, संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा, संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री ...राम राजस्थानी
संरक्षक, मो. 98290–78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133–89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144–08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140–95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

योगेन्द्र राठौड़
मो. 9166494225

एन. के. ग्रामर
मो. 9414008416

कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
मो. 9314142509

हेमराज गोयल
मो. 9460926850

प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

अजय चतुर्वेदी
मो. 9413385665

दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
मो. 9314962106

टार्गेट–2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 1022–1810 | दिनांक : 06.12.2012

श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारतीय निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली –110001

याचिका

विषय :–मतदाताओं से छल, कपट, धोखा एवं दुराचरण करने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने की याचिका ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत वर्ष के करोड़ों मतदाताओं के साथ छल, कपट, धोखा एवं चुनावी दुराचरण करने वाली राजनैतिक पार्टी है जिसके कृत्यों से भारत वर्ष में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान हो रहा है, अराजकता बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, पारस्परिक सद्‌भाव घट रहा है और कटुता बढ़ती जा रही है। पूरा देश जातिवादी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है । आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिछले आम चुनावों का चुनावी घोषणा पत्र मौजूद है, जिसकी प्रमाणित प्रति हमने आर.टी.आई.एक्ट में प्राप्त की है ।

इस चुनावी घोषणा पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि :–

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के दलितों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए, सभी के समान बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, अनेक कार्य योजनाएँ निष्पादित करने का वादा किया था ।
2. देश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कुशलता, भाईचारा, जातिवादी सद्‌भाव बढ़ाने एवं नक्सलवाद, अपराध, जातिवाद, भ्रष्टाचार आदि पर लगाम कसने का सपना दिखाया था ।
3. पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एम.नागराज के प्रकरण में दिये गये निर्णय से कोई छेड़–छाड़ करने की घोषणा नहीं की थी ।
4. पदोन्नति में आरक्षण संबंधी कोई संविधान संशोधन करने की घोषणा नहीं की गई थी।
5. भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोई घोषणा नहीं की गई थी।

हमने अर्थात भारत वर्ष के करोड़ों मतदाताओं ने इसी चुनावी घोषणा पत्र पर एवं कांग्रेसी नेताओं के वचनों पर विश्वास करके पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संसदीय प्रत्याशियों को वोट एवं समर्थन दिया था इसी कारण कांग्रेस पार्टी की केन्द्र में सरकार बन पाई थी । लेकिन अब कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ जातिवादी सांसदों के दवाब में आकर राज्य सभा के पिछले सत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)(ए) में संशोधन हेतु विधेयक पेश किया गया है, जिसका ड्राफ्ट संलग्न है(देखिये अनुलग्नक–1) ।

(लगातार—— 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी–28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई–दिल्ली
(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)
website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अमिताभ गुप्ता — संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)
माननीय श्री जे.एस. राठौड़ — संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू
'अक्षिमत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

...कराम राजस्थानी
संस्थापक, मो. 98290–78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133–89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144–08499
ललित चाधाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140–95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

योगेन्द्र राठौड़
मो.9166494225

एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

कैप्टन पुरूविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

हेमराज गोयल
मो. 9460926850

प्रह्लाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

दुल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
मो. 9314962106

टार्गेट–2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक (2) दिनांक :

इस संविधान संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी :–

1. भारत वर्ष के वास्तविक पिछड़ों, दलितों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को हमेशा ही पिछड़ा, दलित एवं अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष का ही बनाये रखना चाहती है । उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहती । आरक्षित वर्ग के चार–पांच प्रतिशत सम्पन्न लोगों के दवाब में आकर वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों से विश्वासघात कर रही है और अनारक्षित वर्ग द्वारा वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए छोड़ी जा रही नौकरियों, शैक्षणिक सीटों एवं खरबों रूपयों की कर राशि /अनुदान राशि के लाभ को केवल चार–पांच प्रतिशत सम्पन्न आरक्षित वर्ग/शोषक वर्ग द्वारा अनन्त काल तक हड़पे जाने का प्रावधान संविधान संशोधन के द्वारा ला रही है ।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपरोक्त जाति आधारित संविधान संशोधन विधेयक से देश की कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा हो गया है, राज्य/केन्द्र सरकार के प्रशासन तंत्र में भयंकर जातिवादी बिखराव आ रहा है, सरकारी योजनाओं व आरक्षण का लाभ पीढ़ी–दर–पीढ़ी केवल चार–पांच प्रतिशत सम्पन्न आरक्षित वर्ग तक ही सिमट जाने के कारण देश के वास्तविक दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग नक्सलवाद की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे है, अपराध बढ़ रहे है, जातिगत वैमनस्य बढ़ रहा है, पारस्परिक सद्‌भाव घट रहा है, देश में जगह–जगह जाति आधारित धरने प्रदर्शन हो रहे है, देश की एकता एवं अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है ।
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र के विरूद्ध जाकर जातिवादी राजनीति करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.नागराज के प्रकरण में दिये गये समता वादी निर्णय को करोड़ो मतदाताओं का अपमान करते हुये कचरे की टोकरी में फैंक रही है ।
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा प्रावधानों को बदल कर देश के वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों का तिरस्कार करने वाले प्रावधान जोड़ कर पूरे देश के साथ खुला विश्वासघात कर रही है ।
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को ध्वस्त करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों द्वारा दिये गये राष्ट्रवादी निर्णयों का मजाक उड़ा कर राजनैतिक गुण्डागर्दी करते हुये अनुच्छेद 16(4)(ए) में संशोधन करने का प्रयास कर रही है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ऐसा कुकृत्य पूरे देश के साथ विश्वासघात है, उसके घोषणा पत्र पर विश्वास करके उसके प्रत्याशियों को मत एवं समर्थन देने वाले करोड़ों मतदाताओं का अपमान है, भारतीय प्रजातंत्र का मजाक उड़ाने वाला कदम है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस कपटी एवं दुराचारी कृत्य से पूरे देश के मतदाता स्तब्ध है और उनकी भारतीय संविधान एवं प्रजातात्रिक व्यवस्था में आस्थाएँ डगमगा रही है ।

(लगातार—— 3)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली
(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)
website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू
"अक्षमता आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।"
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

...कराम राजस्थानी
संस्थापक, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस.)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक-पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

(3)

क्रमांक दिनांक :

अतः आपके समक्ष यह याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसी कपटी, धोखेबाज एवं दुराचारी पार्टी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उसके चुनाव चिन्ह को तत्काल जब्त करने की कृपा करे ताकि भविष्य में कोई भी राजनैतिक दल ऐसा छल, कपट, धोखा एवं दुराचरण नही कर सकें ।

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सलाह दी जावें कि वह अपना नाम बदल कर भारतीय जातिवादी कांग्रेस रख लेवें ताकि कोई भी राष्ट्रवादी मतदाता भ्रम एवं धोखे में आकर उसे मतदान करने के झांसे में ना आवें ।

भारत वर्ष में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों की पवित्रता बनाये रखने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय चुनाव व्यवस्था को स्वच्छ एवं पवित्र बनाने के लिए तथा देश के राष्ट्रवादी मतदाताओं का भारतीय संविधान में विश्वास बनाये रखने के लिए, देश के करोड़ों मतदाताओं की ओर से उपरोक्त दोनों प्रार्थनाऐं स्वीकार करके भारतीय निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रवादी सोच का परिचय देगा ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है ।

त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद,

भवदीय,
ह0
(रामनिरंजन गौड़)
महासचिव

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान सचिव महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारतीय गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली – 110001 को प्रेषित कर निवेदन है कि याचिका में त्वरित न्यायप्रिय निर्णय लिये जाने हेतु राष्ट्रपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करावें ।
2. सभी माननीय सांसदगण लोकसभा/राज्य सभा को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पदोन्नति में आरक्षण अविधिक एवं असंवैधानिक है । अतः प्रस्तावित 117वां संविधान संशोधन विधेयक को व्यापक राष्ट्रहित में रोकें जाने की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

3.

(रामनिरंजन गौड़)
महासचिव